न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 22/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 7.2.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. भंवरलाल आत्मज कन्हैयालाल जाति माली
2. धन्नालाल आत्मज कन्हैयालाल जाति माली
निवासीगण– भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बांरा।

...अपीलाट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:::निर्णय:::

दिनांक 11.4.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सख्या 48/2010 बउनवान भंवरलाल वगेरा बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 25.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट का प्रस्तुत कर वर्णित किया कि ग्राम भटवाडा स्थित आराजी ख0 नं0 136 रकबा 9.5 बीघा जो पूर्व मे शारदा देवी पत्नी रामकल्याण जाति ब्राहमण नि0 पाडलिया के नाम दर्ज थी मे से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि नामा0 सं0 442 से नहर मे चले जाने से सिचाई विभाग के खाते दर्ज हो गई। सेटलमेंट के दौरान नये ख0 नं0 30 रकबा 0.40 है0 व ख0 नं0 132 रकबा 0.56 है0 कुल 0.96 है0 आराजी प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज की गई जो की पूर्व रकबे के मुकाबले 0.19 है0 रकबा कम दर्ज किया गया। अतः वर्तमान ख0 नं0 30 रकबा 0.40 है0व ख0 नं0 132 रकबा 0.56 है0 कुल 0.96 है0 मे 0.19 है0 कम की गई आराजी को जोडकर वर्तमान रकबे को पूर्व रकबे के अनुसार दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही होने से प्रार्थी का प्रार्थनाा पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को निर्णय दिनांक 15.5.22017 से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्धा तथ्यों व दस्तावेजो की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को रेकार्ड से साबित कर दिया था तथा कमी रकबे की पूर्ति किया जाना आवश्यक था। तहसीलदार से मुताबिक राजस्व रिकार्ड तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किया जाना अपेक्षित था। मौके पर आज भी अपीलांट पूर्ववत काबित काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अपीलांट को सूचना व सुनवायी काअवसर दिये बिना दिनांक 25.5.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट भटवाडा मे पत्रावली जोकर निर्णय पारित कर दिया जिसकी कोई सूचना अपीलांट को नही दी गई ऐसी स्थिति मे पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.8.22018 को बताने पर होने पर नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम/शपथ के साथ अपील पेश की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक

25.5.2017 अपास्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे रकबे की कमी पूर्ति करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वर्णित आराजी को सेटलमेंट विभाग द्वारा अपीलार्थी के गत रकबे के मुकाबले 0.19 है0 रकबा कम दर्ज किया गया जिसको अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे रेकार्ड से साबित कर दिया था। तहसील से प्रकरण मे रकबा कमी की रिपोर्ट आयी थी 2 बीघा सिचाई विभाग के खाते मे गयी है। ऐसी स्थिति मे नये व पुराने रकबे की बरारी कर पुनः तहसील से कमी रकबे के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट रिपोर्ट लिया जाना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना केम्प भटवाडा मे अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस मे बताया कि तहसील से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे सरसरी तौर पर अवलोकन कर निर्णय पारित किया है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है, डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25.5.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत नोटिस जारी किये बिना ही प्रकरण को केम्प कोर्ट भटवाडा मे रख कर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होना वर्णित करते हुये एक पक्षीय रूप से आलौच्य निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांन्त के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली/ आदेशिका दिनांक 25.5.2017 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जेरअपील निर्णय तहसील रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत केम्प कोर्ट भटवाडा मे पत्रावली मे निर्णय पारित किया है उक्त आदेशिका एवं निर्णय मे भी रकबे की कमी होना विवेचित कर समीप स्थित किसी भी आराजी मे रकबे की बढोत्तरी नही होने से रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही होना वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 136 एजआरएक्ट को आलौच्य निर्णय दिनिांक 25.5.2017 से खारिज किया है अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विनिश्चय विधिसम्मत नही है। कमी रकबे के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय को मुताबिक राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल नये पुराने रकबे का मिलान कर रकबा बरारी कराते हुये पुनः स्पष्ट एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसील से प्राप्त कर मुताबिक राजस्व रिकार्ड विधिसम्मत आदेश पारित करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही पाते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 25.5.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड□किया जाता है कि विवादित आराजी के संबध मे तहसीलदार मांगरोल से मुताबिक राजस्व रिकार्ड वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर मिलान क्षेत्रफल नया पुराना राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी आदि का अवलोकन कर रकबा बरारी करते हुये एंव अपीलांट को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किरे।

6 निर्णय आज दिनांक 11.04..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा